

58/13

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

भविष्य निधि भवन, चारकोप पोयसर रोड, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०६७

OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER  
Bhavishya Nidhi Bhavan, Charkop Poiser Road, Kandivli (W), Mumbai

सं./ मह / व. नि. / प्रयोज्यता

दिनांक

NO. MHPF/APPI/210702/110/500/100/631

Date : 31/1/08

सेवा में

To

415 Infantry Security & Facilities  
26/D-2, Behind Vastava Tele exchange,  
SVP Nagar, Andheri (W) Mumbai - 53

विषय : कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना - इसकी प्रयोज्यता - संकेता संख्या का आबंटन।

Sub : Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 and the scheme framed thereunder applicability thereof - Allotment of code number.

महोदय,

Sirs,

1. आपकी फेक्ट्री/स्थापना उसकी सभी शाखाएं और विभागों के साथ दि \_\_\_\_\_ से कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना के प्रविधान खण्ड में समाविष्ट की गई है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यह प्रकट होता है की .....

1. Your factory/establishment with all its branches and departments is brought within the purview of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the scheme framed thereunder with effect from 01/12/2007. The information made available reveals that.....

1. आपकी फेक्ट्री अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग \_\_\_\_\_ का कार्य करती है जिसपर अधिनियम की धारा 1(3) के अधिन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू होता है।

(i) Your factory is engaged in.....one of the Industries specified in Schedule I to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 is applicable under Section 1 (3) (a) of the Act.

2 आपकी स्थापना \_\_\_\_\_ के लिए वर्गीकृत की गई है जिसपर अधिनियम की धारा 1(3) (बी) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू किया है।

(ii) Yours is an establishments classified as Export Service to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 has been made applicable by the Government of India by a Notification issued under Section 1 (3) (b) of the Act.

3. आपकी फेक्ट्री / स्थापना जो कार्य करती है वह अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग में तथा अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुसूचित स्थापनाओं के वर्ग में अन्तर्भूत नहीं है। अतः आपकी स्थापना के अ-सूचियत्त्व माना गया है।

(1-क) जाँच पडताल / उपलब्ध सूचना के आधार पर व्याप्ति तत्कालिक स्वरूप की है; लेकिन इस शर्त पर कि आपके पूर्व अवधि के प्रलेख सत्यापित हो जाए।

Code No. is issued subject to further verification of the records

(1-A) The coverage is PROVISIONAL on the basis of enquiries made/information available and is subject to further verification of your records for prior periods.

(1-ख) अधिनियम की धारा (1) (4) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 के स्वीच्छि रूप से विस्तार के